फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड एक निगमित निकाय हैं। जिसका प्रधान कार्यालय पंजीकृत कार्यालय – 102, कंचन अपार्टमेंट, एल.बी.एस कोलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है और जिसकी एक शाखा कार्यालय– नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.) में स्थित व कार्यरत हैं। प्रार्थी कम्पनी का एक शाखा कार्यालय – नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.) के प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह हैं।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री राकेश सोनी पुत्र श्री धनराज सोनी, जाति सोनी निवासी सोनीयो का मोहल्ला, खमनोंर, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.) – 313301
–ऋणी / बंधनककर्ता

2. श्रीमति रेखा सोनी पत्नी श्री राकेश सोनी, जाति सोनी निवासी सोनीयो का मोहल्ला, खमनोंर, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.) – 313301 –सहऋणी

3. श्री संजय सोनी पुत्री श्री लालु राम सोनी, जाति सोनी निवासी सोनीयो का मोहल्ला, खमनोंर, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.) – 313301 –जमानती

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन पत्रावली संख्या 54 / 2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.11.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 09.10.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी कम्पनी को भारत के राजपत्र मे दिनांक 24.10.2018 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप धारा (1) के खण्ड (ड) के उप खंड (4) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल किया गया। यह कि अप्रार्थी ने वित्तिय संस्था से जरिये खाता संख्या 68631 में दिनांक 31 / 10 / 21017 को रूपये 4,00,000 / – का ऋण लिया था एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान सिक्योरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन बंधक किया अप्रार्थी 1 व 2 के द्वारा प्रार्थी बैंक से लिये गये ऋण चुकाने के लिए 1, 2 व 3 समान रूप से जिम्मेदार है व रहन सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है :– श्री राकेश सोनी पुत्र श्री धनराज सोनी की सम्पत्ति जो आराजी नं. 1977, पट्टा नं. 85, ग्राम खमनोर तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द, राजस्थान पद स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग : 517.5 वर्ग फिट है। चतुः सीमाऐं:– पूर्वः– सडक, पश्चिमः– छोगालाल महात्मा का बाडा, उत्तरः– शांति लाल नाई का घर, दक्षिणः– लालुराम का घर। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगणों	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के खातों को दिनांक 10/03/2019 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में कुल ऋण राशि रूपये 4,25,464/- (अक्षरे रूपयें चार लाख पच्चीस हजार चार सौ चौंसठ मात्र) दिनांक 22/06/2019 तक व दिनांक 23/06/2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चो का पूर्णभुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी वित्तिय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 15/07/2019 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्होंने देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं दिया। अप्रार्थीगण ने धारा 13(2) के नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी वित्तिय संस्था को नहीं किया है। इस उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी वित्तिय संस्था को नहीं किया है। जिससे उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी वित्तिय संस्था उक्त अनुसूचीं में वर्णित सिक्यूरिटी रहनबंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विकय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

दिनांक–16, अगस्त, 2016 को भारत का राजपत्र असाधारण भाग–।।– खण्ड–1–संख्या–51 के तहत् वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 में संशोधन किए गए है, उक्त संशोधित एक्ट की धारा सेक्शन–12 जो कि निम्न प्रकार से है:–

Sec-12 In the principal Act, in secion 14, in sub-section (1),-

1. in the second proviso, after the words "secured assets", the words "within a period of thirty days from the date of application" shall be inserted;

2. after the second proviso, the following proviso shall be inserted, manely:-

"Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days."

उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 3 मे वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर आदेश पारित करना हैं, यदि कोई आदेश 30 दिनों के अन्दर पारित नहीं किया जाता हैं तो विलम्ब के लिए कारण दर्ज करने के पश्चात आदेश 60 दिनों के अन्दर दिया जावेगा यह संशोधन भारत के राजपत्र में दिनांक 16.08.2016 को प्रकाशित किया गया हैं। शपथ–पत्र मे वर्णितानुसार इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 15.07.19 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी, जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरणः– श्री राकेश सोनी पुत्र श्री धनराज सोनी की सम्पत्ति जो आराजी नं. 1977, पट्टा नं. 85, ग्राम खमनोर तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द(राज.) जिसमें भवन, भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 517.5 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार हैः– पूर्वः– सडक, पश्चिमः– छोगालाल महात्मा का बाडा, उत्तरः– शांति लाल नाई का घर, दक्षिणः– लालुराम का घर।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)